

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 14/2025

1. गुरबचन सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमेल सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बीकर सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम**

**--:: उपस्थित अभिभाषकगण --::**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. श्री हीरा लाल बिरथलिया                 | प्रार्थी  |
| 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी |




**--:: निर्णय --::**

दिनांक :- 30.04.25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधिवक्ता श्री हीरालाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 10 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 59 के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 15 कुल 3.795 हैक्. ब.हिब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 42/246 के किला नं. 1, 10, 11 मे 0.025-0.025 हैक्. गै.मु. स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है तथा प.नं. 42/246 के किला नं. 1 ता 5 मे बैजानिव उत्तरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता वर्तमान मे चालू है। प्रार्थीगण अपने नाम से वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 2-2 बिस्वा रास्ता बैजानिव उत्तरी दिशा राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत करवाना चाहते है। उक्त रास्ता काफी वर्षो से चालू है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि संयुक्त खात की कृषि भूमि दर्ज है। पारिवारिक विभाजन को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के प. नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 0.025-0.025 हैक्. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो कि राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 10 बीएलडब्ल्यू के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 0.025-0.025 हैक्. बैजानिव उत्तर दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

  
सहायक कलक्टर एवम्  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी/तहसीलदार पीलीबंगा को पत्रांक 123 दिनांक 20.03.25 से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 315 दिनांक 07.04.25 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान् को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का गै.मु.रास्ता लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक गै०मु० रास्ता लगता है।

### आदेश—

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का गै.मु.रास्ता लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक गै०मु० रास्ता लगता है। लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक ~~30.04.25~~ सुनाया गया।

(अभिजा बिश्नोई आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

